

उत्तर प्रदेश शासन  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2  
संख्या-क0नि0-2- 834/ग्यारह-9(15)/17-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(05)-2017  
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2017

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 01 जुलाई, 2017 को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 6 से 9, 11 से 21, 31 से 41, धारा 42 (जिसकी उपधारा (9) के परन्तुक के सिवाय), धारा 43 (जिसकी उपधारा (9) के परन्तुक के सिवाय), धारा 44 से 50, 53 से 138, 140 से 145, 147 से 163, 165 से 174 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,



(एस0 राजलिंगम)

विशेष सचिव।